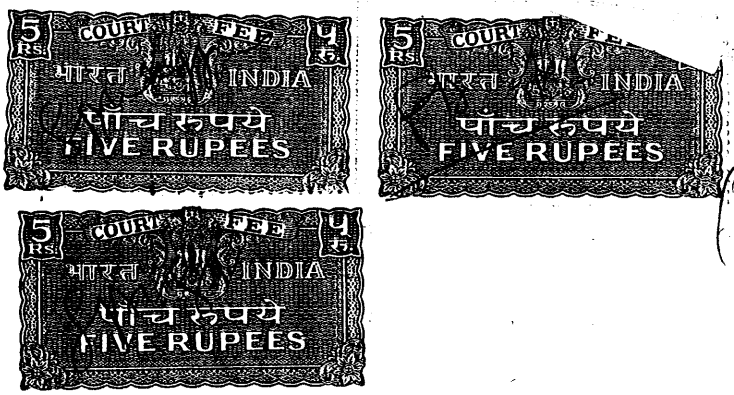

COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

189

विवि. 725-II/07

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल,म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००७ निगरानी

श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक द्वारा आज दि० 24-4-07 को प्रस्तुत
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

माँगीलाल पुत्र श्री जगन्नाथ वैश्य,
निवासी ग्राम बगवाज, तहसील श्योपुर
जिला श्योपुर,म०प्र० हाल निवासी
श्योपुर, तहसील व जिला श्योपुरम०प्र०
-- प्रार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महोदय,चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक २५ जनवरी, २००७ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्रकरण क्रमांक ५४/२००२-२००३ निगरानी

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि आयुक्त महोदय एवम् कलेक्टरमहोदय की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।

(२) यहकि निगरानी न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(३) यहकि वर्तमान प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि प्रार्थी को विवादित भूमि का बंटन विशेष अधिनियम ८४ के अधीन किया गया है । ऐसी स्थिति में असंबंधित प्रावधान के आधार पर आदेश पारित करने में भूल हुई है ।

(४) यहकि कलेक्टरमहोदय व्दारा दिया गया कारण बताओ नोटिस अपूर्ण, अस्पष्ट एवम् भ्रामक होने के कारण उसके आधार पर पारित आदेश निरस्ती योग्य है ।

---- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 725/दो/2007 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के के प्रकरण क्रमांक 54/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.01.2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ वैश्य को ग्राम बगवाज की भूमि सर्वे क्रमांक 507 रकवा 17 विस्वा, सर्वे क्रमांक 508/1 रकवा 10 विस्वा, सर्वे क्रमांक 508/3 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 2 बीघा 9 विस्वा भूमि का नायब तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 02.07.1996 द्धारा बंटन कर भूमि स्वामी स्वत्व के पट्टे जारी किये गये। तथा उन्हे मौके पर कब्जा दिया गया। आवेदक भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे है और भूमि को श्रम एवं धन लगाकर कृषि योग्य बनाया है। शिकायत कर्ता हसन अली ने भूमि सर्वे क्रमांक 175 एवं 181 के संबंध में कलेक्टर श्योपुर को इस आशय की शिकायत की कि उसके द्धारा ग्राम बागवाज की बेहड भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। जिसपर कई वर्षो से खेती करता आ रहा है जिसे नूर मोहम्मद पुत्र सुभान मुसलमान ने अपनी दोनो पत्नी हलीमा एवं फरीदा के नाम पटवारी से मिलकर तहसील से पट्टा करा लिया है। उक्त शिकायत की जाँच	

कलेक्टर श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर से करायी गयी उक्त शिकायत पर से अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत् प्रकरण कायम कर तहसील श्योपुर के भूमि बंटन के प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 को तलब किया। तथा वास्तविक स्थिति के संबंध में तहसीलदार श्योपुर से जानकारी चाही गयी। तहसीलदार ने गाँव के पंचान एवं सरपंच से जानकारी ली। जिसमें आवेदक को ग्राम बागवाज की निवासी होना प्रमाणित माना। जिसका पंचनामा तैयार किया है पटवारी द्वारा आवेदक की आर्थिक स्थिति अच्छी होने संबंधी गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अनुविभागीय अधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर श्योपुर को इस आशय का प्रस्तुत किया। कि तहसील के प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 02.07.1996 से की गयी। भूमि बंटन की कार्यवाही में अनिमितताये की गयी है। जिससे भूमि बंटन के उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर अवैध पट्टो को निरस्त किया जाये। कलेक्टर श्योपुर ने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर क्रमांक 01/2000–01/स्वमेव निगरानी पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। और आदेश दिनांक 06.02.2003 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार के बंटन आदेश दिनांक 02.07.1996 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रकरण क्रमांक 54/02–03 निगरानी प्रस्तुत की थी। जो पारित आदेश दिनांक 25.01.2007 से निरस्त की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव निगरानी में पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय न्यायालय द्वारा कई न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये है जिनपर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा आदेश पारित किये गये है जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है इसके अतिरिक्त प्रकरण में आदेश अनुविभागीय अधिकारी के एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जबकि एक पक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः ऐसे एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है वह अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण भू–बंटन विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 का है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि उक्त प्रकरण में जो आदेश कलेक्टर जिला श्योपुर एवं आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित किये गये वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अंत में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयो के आदेशो एवं पत्रावलियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा शिकायत के आधार पर प्रकरण को पंजीबद्ध किया है। तथा नायब तहसीलदार श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.1996 को विधिवत् नहीं माना है। जबकि स्वमेव

निगरानी के अधिकारो के संबंध में न्यायदृष्टांत 2010(4) एम.पी.एल. जे 178 अवलोकनीय है इस न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय की पीठ द्धारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयो के अनेक न्यायदृष्टांतो का संदर्भ देते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया है। कि ''भू राजस्व संहिता म.प्र. (1959) का 20 धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्धारा स्वप्ररेणा शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्धारा की गयी कार्यवाहियो की अवैधता औचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो।'' उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में जो आदेश अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्धारा पारित किया गया है स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रकरण भू–बंटन विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 का है। तहसील न्यायालय द्धारा आवेदक की पात्रता की विधिवत् जाँच करने के पश्चात् भूमि का आवंटन किया गया था। कलेक्टर जिला श्योपुर द्धारा प्रकरण में कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गयी है। जबकि एक पक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः ऐसे आग्रहय प्रतिवेदन के आधार पर जो कार्यवाही की जाकर कलेक्टर जिला श्योपुर द्धारा आदेश पारित किया गया है स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहाँ तक आयुक्त चंबल संभाग मुरैना आदेश का प्रश्न है तो उन्होने अपने आदेश में कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिये है बल्कि कलेक्टर जिला श्योपुर के आदेश को विधिवत् माना है। ऐसी स्थिति में आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश विधिवत् एवं उचित

नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2000–01/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.02.2003 तथा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/02–03/निगरानी में पारित आदेश 25.01.2007 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एव नायब तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 02.07.1996 स्थिर रखा जाता है।

सदस्य